

राजस्थान सरकार  
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक: एफ 1(बी)(4)(2)सीटीएडी/2018/

38653-58 दिनांक : 14/10/2019

कार्यालय-आदेश

इस विभाग में कार्यरत अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं पदेन निदेशक, स्वच्छ परियोजना, उदयपुर तथा अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के मध्य कार्य विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :-

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)	अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
<ol style="list-style-type: none"> <li>उदयपुर, कोटा एवं जोधपुर संभाग के गैर अनुसूचित क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही जनजाति कल्याण से सम्बन्धित समस्त योजनाओं का संचालन, पर्यवेक्षण एवं मोनेटरिंग।</li> <li>सहरिया क्षेत्र में सहरिया जाति के कल्याण हेतु क्रियान्वित की जा रही समस्त योजनाओं का पर्यवेक्षण।</li> <li>उदयपुर, कोटा एवं जोधपुर संभाग के गैर अनुसूचित क्षेत्र (माडा) में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दायर कोर्ट केसज से सम्बन्धित कार्य।</li> <li>गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं सहरिया परियोजना अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही योजनाओं से सम्बन्धित पत्रावलियों का संधारण माडा कार्यालयों में किया जाता है। प्रकरणों से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियां सहायक निदेशक (सांख्यिकी) के माध्यम से अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) को प्रस्तुत की जाए।</li> <li>आयुक्त कार्यालय के निम्न प्रकोष्ठों की पत्रावलियां अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) को प्रस्तुत की जायेगी :- <ol style="list-style-type: none"> <li>स्थापना प्रकोष्ठ</li> <li>शिक्षा प्रकोष्ठ (प्रशासन/स्थापना)</li> <li>कृषि एवं चिकित्सा प्रकोष्ठ</li> <li>भण्डार प्रकोष्ठ</li> <li>पूल प्रकोष्ठ</li> <li>सूचना का अधिकार</li> <li>विभागीय जॉब एवं विधि प्रकोष्ठ</li> <li>विधानसभा प्रकोष्ठ</li> <li>कार्टोग्राफी प्रकोष्ठ (माडा)</li> <li>तकनीकी शिक्षा प्रकोष्ठ</li> <li>माननीय मंत्री महोदय द्वारा बैठक/भ्रमण/पत्राचार द्वारा प्रदत्त निर्देशों से सम्बन्धित समस्त कार्य</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>अनुसूचित क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही जनजाति कल्याण से सम्बन्धित समस्त योजनाओं का संचालन, पर्यवेक्षण एवं मोनेटरिंग।</li> <li>आयुक्त कार्यालय के निम्न प्रकोष्ठों की पत्रावलियां अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) को प्रस्तुत की जायेगी :- <ol style="list-style-type: none"> <li>सुरक्षात्मक व्यवस्थापन प्रकोष्ठ</li> <li>सामान्य प्रकोष्ठ</li> <li>वन अधिकार</li> <li>अभियान्त्रिकी प्रकोष्ठ</li> <li>लेखा प्रकोष्ठ</li> <li>कार्टोग्राफी प्रकोष्ठ (अनुसूचित क्षेत्र)</li> <li>कम्प्यूटर प्रकोष्ठ</li> <li>मूल्यांकन एवं बीस सूत्री कार्यक्रम</li> <li>आयोजना प्रकोष्ठ</li> <li>मोनेटरिंग प्रकोष्ठ</li> <li>सहकारिता प्रकोष्ठ</li> <li>खेल प्रकोष्ठ</li> <li>टी आर आई से सम्बन्धित कार्य</li> <li>समस्त आई टी आधारित कार्यक्रम एवं नवाचार</li> <li>शिक्षा अनुभाग के समस्त कार्य (प्रशासन/स्थापना के अतिरिक्त)</li> </ol> </li> </ol>

- समस्त शाखाओं की पत्रावलियां उनके प्रभारी अधिकारी के माध्यम से अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) के जरिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत की जावे।
- प्रत्येक प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) के चाहने पर पत्रावली पर अपनी राय/टिप्पणी अंकित कर पुनः पत्रावली सम्बन्धित अतिरिक्त आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे।
- जिस पत्रावली पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्बन्धित अधिकारी से राय/टिप्पणी चाही जायेगी, वह पत्रावली सीधे अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत होगी।
- उक्त निर्देशों की पालना समस्त अधिकारियों द्वारा आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावे।

(शिवांगी स्वर्णकार)  
आयुक्त

क्रमांक: एफ 1(बी)(4)(2)सीटीएडी/2018/  
प्रतिलिपि :-

38653-58

दिनांक : 14/10/2019

- अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं पदेन निदेशक, स्वच्छ परियोजना, उदयपुर।
- अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
- अतिरिक्त निजी सहायक, आयुक्त महोदय।
- प्रकोष्ठाधिकारी ~~अनुसूचित~~ प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
- निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय)।
- आदेश पत्रावली।

आयुक्त